27.05.25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।

अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 से 14 को रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आदेशिका दिनांक 22.07.2024 को जारी अंतरीम निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा फरमाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मय खर्चा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभय पक्षकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:09 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
P.P.U.

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—! आदेश ! —

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कारोला पटवार हल्का कारोला के खेत खसरा नं. 1763 से 1768, 1892, 1893 जुमले रकबा 4.20 हैक्टेयर भूमी में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल रकार्ड हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner